



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 14, 2014/आश्विन 22, 1936

No. 530]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2014/ASVINA 22, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 723(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 128 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3), धारा 129 की उप-धारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उप-धारा (4), धारा 136 की उप-धारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2014 है।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 6 में विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि इस नियम की कोई बात, किसी ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, जिसकी अव्यवहित मूल कंपनी ऐसी कंपनी है जो भारत से बाहर निगमित है से भिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली मध्यस्थ अनुषंगी कंपनियों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के संबंध में लागू नहीं होगी:

परंतु यह भी कि, इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कोई अनुषंगी कंपनी या कंपनियां नहीं है किंतु उसकी एक या अधिक सहयुक्त कंपनी या सहउद्यम या दोनों हैं, यथास्थिति में सहयुक्त कंपनियों या सहउद्यमों या दोनों, के संबंध में वित्तीय विवरण के समेकन के लिए 1 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, किसी अन्य विधि या विनियम के अधीन रहते हुए, लागू नहीं होगी।”

[फा. स. 1/19/2013-सीएल-V-भाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2014

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 6, after the existing proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided further that nothing in this rule shall apply in respect of preparation of consolidated financial statement by an intermediate wholly-owned subsidiary, other than a wholly-owned subsidiary whose immediate parent is a company incorporated outside India:

Provided also that nothing contained in this rule shall, subject to any other law or regulation, apply for the financial year commencing from the 1st day of April, 2014 and ending on the 31st March, 2015, in case of a company which does not have a subsidiary or subsidiaries but has one or more associate companies or joint ventures or both, for the consolidation of financial statement in respect of associate companies or joint ventures or both, as the case may be.”

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note .- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014.